राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2017/2085

अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/4/-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0धाकड़ उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । 2- यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 33/अ-12/2016-17 में की गयी सीमांकन कार्यवाही दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में मुख्य बाद बिन्दु सीमांकन से संबंधित है(सीमांकन हेतु प्रस्तावित सर्वे क्रमांक 425/2 को बाद ग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा)। 3- प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि सीमांकन कार्यवाही करने से पहले सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी नहीं किए गये और न ही आवेदक को ही कोई सूचना पत्र जारी किए गये। और न ही सीमांकन कार्यवाही की जानकारी ही दी गयी। सीमांकन की कार्यवाही बाला बाला की गयी है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि सीमांकन विहित अधिकारी द्वारा न किया जाकर पटवारी द्वारा किया गया है। संहिता में सीमांकन हेतु राजस्व अधिकारी को करने का अधिकार है पटवारी को सीमांकन कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके	

किस्सा-ए-कैपिटल

राजस्व मंडल ने पटवारियों द्वारा किए सीमांकन को खारिज किया

राजस्व मंडल के सदस्य एम के अग्रवाल के द्वारा पटवारी के सीमांकन को गलत ठकराया जा रहा है

नगर प्रतिनिधि ■ भोपाल

राजस्व मंडल के सदस्य एम के अग्रवाल ने सीमांकन के एक प्रकरण में पटवारी के द्वारा किए गए सीमांकन को सिरे से खारिज कर दिया है। यह प्रदेश का पहला मामला होगा जब किसी राजस्व मंडल के सदस्य ने ऐसा फैसला सुनाया है। वर्ष 1959 में भू राजस्व संहिता की धारा 129 बनाई गई थी जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सीमांकन के अधिकार तहसीलदार को दिए गए हैं , अपने अधिकार के तहत पटवारी से सीमांकन का कार्य करवाया जाता रहा है। लगभग 70 वर्ष उसी नियम के तहत आज दिन तक बटवारा होता आया है। लेकिन राजस्व मंडल के सदस्य के द्वारा पटवारी के द्वारा किए गए सीमांकन को गलत ठहराते हुए यह आदेश किया गया हैकि सीमांकन राजस्व निरीक्षक ही कर सकता है। तो फिर पटवारी के सीमांकन को राजस्व मंडल के सदस्य के आदेश के तहत समाप्त हो किए जा रहे हैं।

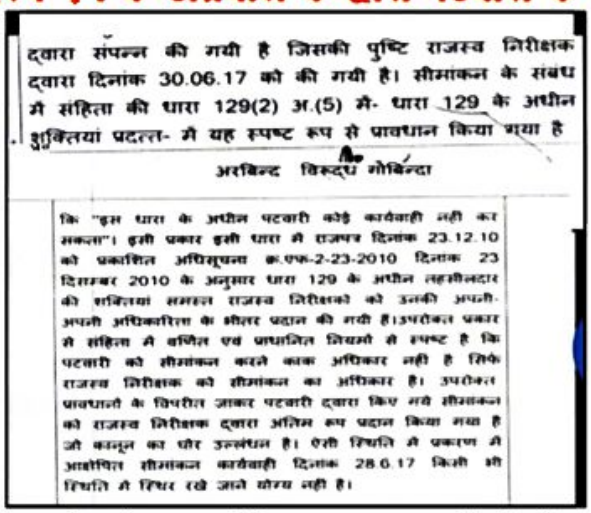

द्वारा संपन्न की गयी है जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.06.17 को की गयी है। सीमांकन के संबंध मे संहिता की धारा 129(2) अ.(5) मे- धारा 129 के अधीन शुक्तियां प्रदत्त- मे यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है

अरविन्द विरुद्ध गोविन्दा

कि "इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नही कर सकता"। इसी प्रकार इसी धारा मे राजपत्र दिनांक 23.12.10 को प्रकाशित अधिसूचना क्र.एफ-2-23-2010 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के अनुसार धारा 129 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां समस्त राजस्व निरीक्षको को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गयी है।उपरोक्त प्रकार से संहिता मे वर्णित एवं प्रावधानित नियमो से स्पष्ट है कि पटवारी को सीमांकन करने काक अधिकार नही है सिर्फ राजस्व निरीक्षक को सीमांकन का अधिकार है। उपरोक्त प्रावधानो के विपरीत जाकर पटवारी द्वारा किए गये सीमांकन को राजस्व निरीक्षक द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया है जो कानून का घोर उल्लंघन है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही दिनांक 28.6.17 किसी भी स्थिति मे स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

क्या 50 वर्षों से किए सीमांकन होंगे निरस्त

जब राजस्व मंडल के सदस्य एम के अग्रवाल के द्वारा पटवारी के सीमांकन को गलत ठकराया जा रहा है। तो फिर क्या जबसे भू राजस्व सहिंता बनी है तब से आज तक के समस्त सीमांकन निरस्त माने जाएंगे,क्योंकि पिछले लगभग 70 सालों से प्रदेश में पटवारी के द्वारा ही सीमांकन किए गए हैं। लेकिन यहां पर राजस्व मंडल के सदस्य ने अपने फैसले में ऐसा कुछ नहीं कहा है।

अशोकनगर के मामले में किया आदेश

राजपत्र में 129 के अधीन धारा में प्रावधान किया गया है कि इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता । दिनांक 23 दिसंबर 2010 को प्रकाशित अधिसूचना क्र. 2-23-10 दिनांक 23 दिसंबर 10 के अनुसार धारा 129 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां समस्त राजस्व निरीक्षकों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गई हैं। इसमें स्पष्ट हैकि पटवारी को सीमांकन का अधिकार नहीं है सिर्फ राजस्व निरीक्षक को सीमांकन का अधिकार है। यह आदेश राजस्व मंडल सदस्य एमके अग्रवाल के द्वारा अशोक नगर के प्रकरण में सुनवाई के दौरान किए गए।

इनका कहना है।

मैं अभी दो माह से राजस्व मंडल में नहीं हूं मुझे नहीं मालूम इन आदेश के बारे में, राजस्व मंडल में तो बहुस से आदेश किये जाते हैं। कहां तक याद रखेंगे।

एम के अग्रवाल
तात्कालीन राजस्व मंडल सदस्य ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2017/2085

अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा

अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यह दुहराया न जाकर विचार में लिया जा रहा है निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि किया गया सीमांकन विधिक है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4- उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रथमतः तो जो सीमांकन कार्यवाही दिनांक 28.06.17 चुनौती युक्त है वह सक्षम अधिकारी द्वारा न की जाकर पटवारी द्वारा की गयी है इस प्रकार यह कार्यवाही अधिकारिता वाह्य है पटवारी को सीमांकन करने का अधिकार ही नहीं है इस तथ्य की पुष्टि राजस्व निरीक्षक के सीमांकन स्वीकृति आदेश दिनांक 30.06.17 से भी होती है। द्वितीय यह कि जारी सूचना पत्र दिनांक 27.06.17 पर हरनाम सिंह के कोई हस्ताक्षर नहीं है सिर्फ कोटवार की टीप अंकित है कि हस्ताक्षर से हरनाम सिंह द्वारा इन्कार किया गया। पंचनामा दिनांक 28.06.17 पर भी आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं है। प्रकरण में मुख्य रूप से विधिक त्रुटि यह है कि आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही पटवारी द्वारा संपन्न की गयी है जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.06.17 को की गयी है। सीमांकन के संबंध में संहिता की धारा 129(2) अ.(5) में- धारा 129 के अधीन शक्तियां प्रदत्त- में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2017/2085

अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा

राजस्व निरक्षक एवं पटवारी को नामांकित कर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करें तथा भविष्य के लिए सचेत करें कि वे भविष्य में इस प्रकार की विधि विरूद्ध कार्यवाही न करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)

सदस्य